न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपर, जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्याः 153/2025(जी.सी.एम.एस. 2025/24)

वादी	बनाम प्रतिवादीगण
1. शिवराज सिंह पुत्र डिप्टी सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर।	1. सतनाम सिंह पुत्र डिप्टी सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 2. अमृतपाल सिंह उर्फ सेवक सिंह पुत्र डिप्टी सिंह जाति जटसिख निवासी 46 एफ मौडा तहसील श्रीकरणपुर। 3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 02.06.2025

उपस्थितः 1. श्री मनीष जागिंड अधिवक्ता वादी

--निर्णय-- **दिनांकः 14.08.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वादपत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 7/3 के मुरब्बा नम्बर 25, 29, 31, 38, 45, 53/20, 53/32, 53/36, 53/47 की कुल 10.563 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 122/7 के मुरब्बा नम्बर 38 की कुल 2.257 हैक्टेयर भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 के नाम से दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी व प्रतिवादीगण आपस में सगे भाई है और उक्त सम्पति हमारी विरास्तन सम्पति है। वादी व प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि को आपसी सहुलियत व पारिवारिक सहमति व सुविधाओं के अनुसार लिखित दस्तावेज दिनांक 30.11.2017 से बंटवारा किया हुआ है। बंटवारानामा के अनुसार राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 7/3 के मुरब्बा नम्बर 25, 29, 31, 38, 45, 53/20, 53/32, 53/36, 53/47 की कुल 10.563 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 122/7 के मुरब्बा नम्बर 38 की कुल 2.257 हैक्टेयर भूमि पर वादी को प्राप्त हुई है। वादी उक्त भूमि पर शांतिपूर्वक, निरतंर, निर्बाध रूप से कब्जा काश्त अवश्य है। लेकिन वादी के नाम से उक्त भूमि का कब्जा काश्त व पारिवारिक बंटवारा के अनुसार रकबा का अंकन नहीं है। रकबा का अंकन नहीं होने के कारण वादी को हर समय भारी कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। इस कारण वादी पारिवारिक बंटवारा में प्राप्तशुदा भूमि का अंकन करवा पाने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार आग्रह किया कि आप वादी के नाम से उक्त भूमि का पारिवारिक बंटवारा के अनुसार अंकन करवा देवे, लेकिन प्रतिवादीगण हमेशा घरेलू परेशानियों का हवाला देते रहते है और वादी के साथ सहमति प्रकट नहीं कर रहे है। आज से एक माह पूर्व वादी ने प्रतिवादीगण को पुनः निवेदन किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब उनका नहीं रहा। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादी को राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 7/3 के मुरब्बा नम्बर 25, 29, 31, 38, 45, 53/20, 53/32, 53/36, 53/47 की कुल 10.563 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 122/7 के मुरब्बा नम्बर 38 की कुल 2.257 हैक्टेयर भूमि में पारिवारिक बंटवारानामा में प्राप्त भूमि का खातेदार घोषित किया जाकर किया जावे एवं उपर्युक्तानुसार अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व, श्रीकरणपुर को डिक्री पारित की जावे।
2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा सहमति का जवाबदावा पेश किया। सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण सतनाम सिंह व अमृतपाल सिंह उर्फ सेवक सिंह के द्वारा न्यायालय में उपस्थित आकर सहमति पत्र पेश किया। दोनो पक्षों की पहचान वादी अधिवक्ता के द्वारा की गई। सहमति पत्र पढकर सुनाया गया। दोनो पक्षों के द्वारा सहमति पत्र सुन व समझकर सही होना स्वीकार किया। सहमति पत्र तस्दीक किया जाकर सामिल मिसल किया गया। सहमति पत्र के अनुसार राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 7/3 के मुरब्बा नम्बर 25,

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

29, 31, 38, 45, 53/20, 53/32, 53/36, 53/47 की कुल 10.563 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 122/7 के मुरब्बा नम्बर 38 की कुल 2.257 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज भूमि का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है तो कोई आपत्ति व एतराज नहीं है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादीगण के द्वारा सहमति पत्र पेश किया गया है। इसलिए प्रकरण में वाद बिन्दू कायम नहीं किए गए। वादी अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि वादी का वादपत्र प्रतिवादीगण के द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र अनुसार डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।

3. बहस सुनी गई, बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने वादी का वादपत्र प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र के अनुसार डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की है। वादी के वादपत्र मय शपथपत्र, सहमति पत्र मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादी का वाद पत्र, प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत सहमति पत्र मुताबिक डिक्री किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेश:-

4. अतः अंतिम डिक्री बहक वादी, प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 सहमति पत्र अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 7/3 के मुरब्बा नम्बर 25, 29, 31, 38, 45, 53/20, 53/32, 53/36, 53/47 की कुल 10.563 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 122/7 के मुरब्बा नम्बर 38 की कुल 2.257 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 सतनाम सिंह (4.472 हैक्टेयर) व अमृतपाल सिंह उर्फ सेवक सिंह (4.499 हैक्टेयर) के नाम दर्ज कुल 8.971 हैक्टेयर भूमि का वादी शिवराज सिंह पुत्र डिप्टी सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 14.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

शिवराज सिंह बनाम सतनाम सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 88, 91, 209 आरटीए

मुकदमा नम्बर **153/2025**

निर्णय दिनांक :-14.08.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री मनीष जागिंड उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 सहमति पत्र अनुसार भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 12 ओ, पटवार हल्का 10 ओ तेजेवाला, भू.अ.नि. क्षेत्र श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की जमाबंदी सम्वत 2074 ता 2077 के खाता संख्या 7/3 के मुरब्बा नम्बर 25, 29, 31, 38, 45, 53/20, 53/32, 53/36, 53/47 की कुल 10.563 हैक्टेयर भूमि व खाता संख्या 122/7 के मुरब्बा नम्बर 38 की कुल 2.257 हैक्टेयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 सतनाम सिंह (4.472 हैक्टेयर) व अमृतपाल सिंह उर्फ सेवक सिंह (4.499 हैक्टेयर) के नाम दर्ज कुल 8.971 हैक्टेयर भूमि का वादी शिवराज सिंह पुत्र डिप्टी सिंह को खातेदार घोषित किया जाकर उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खातों के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे।

आज दिनांक 18.08.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

मुददई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	01	00
स्टाम्प ड्यूटी	1500	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**1504**	**00**	**योग**	**01**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

क्रमांक: रीडर/2025/624 दिनांक: 18.08.2025

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर